मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2946

27 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए भूमि का आवंटन

2946# श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए चालू पेट्रोल पंपों/सीएनजी स्टेशनों को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का प्रावधान है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय को कितनी फर्मों ने सीएनजी स्टेशनों पर अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की अपनी मांग अग्रेषित की है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने आवेदन विधिवत रूप से स्वीकृत, अस्वीकृत किए गए या लंबित रखे गए?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): जी नहीं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी)-2041 के मसौदे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

"इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों या अन्य हरित ईंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को, जहाँ भी संभव हो, ईंधन स्टेशनों के भीतर एकीकृत स्थापना के रूप में अनुमति दी जाएगी"।

(ख): डीडीए ने सूचित किया है कि उसने मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (मैसर्स आईजीएल) को 79 सीएनजी साइट आवंटित की हैं। सीएनजी स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन का अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, मैसर्स आईजीएल ने

03.09.2021 को डीडीए से सभी मौजूदा 79 सीएनजी साइटों के साथ-साथ भविष्य में किए जाने वाले सभी नए आवंटनों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जो प्रक्रियाधीन है।

(ग): उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******